No. 23/23/2018-R&R
Government of India
Ministry of Power
***

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, 27th April, 2021

To

1. Principal Secretary/Secretary (Energy/Power), All State Governments/UTs.
2. Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi.
3. Secretaries, All SERCs/JERCs.

Subject: Preparation of Draft National Electricity Policy 2021.

Sir/ Madam,

Under Section 3 (3) of the Electricity Act, 2003, the Central Government may, from time to time, in consultation with the State Governments and the Central Electricity Authority, review or revise, the National Electricity Policy. The Central Government had notified the National Electricity Policy on 12th February, 2005 (copy enclosed).

2. According to Section 66 of the Electricity Act, 2003 *"the Appropriate Commission shall endeavour to promote the development of a market (including trading) in power in such manner as may be specified and shall be guided by the National Electricity Policy".*

3. The Central Electricity Regulatory Commission (CERC) and State Electricity Regulatory Commissions (SERCs), in discharge of their functions, shall be guided by the National Electricity Policy under section 79 and section 86 of the Electricity Act, 2003 respectively.

4. In this regard, it is informed that Ministry of Power vide Order dated 12.4.2021 has constituted a Committee under the chairmanship of Shri Gireesh Pradhan, Ex-Chairperson, CERC to prepare and recommend National Electricity Policy (NEP), 2021 (copy enclosed). The Committee comprises Members from State Governments, MNRE, NITI Aayog, CEA, CPSUs etc. The Expert Committee is required to submit its suggested draft NEP 2021 within two months.

5. It is requested that suggestions for framing draft NEP 2021, if any, may please sent to the expert committee within 21 days from the date of this letter. The suggestions alongwith the suggested specific formulations should be brief and in around 1000 words, which you feel that needs to be incorporated in the NEP 2021. The comments may also be emailed at debranjan.chattopadhyay@nic.in.

Yours faithfully,

Encl: As above

(Ghanshyam Prasad)
Joint Secretary to the Government of India and
the Convenor of the committee on NEP
Tele No. 2371 0389

Copy to:

1) Chairperson, Central Electricity Authority, New Delhi.
2) Registrar, Appellate Tribunal for Electricity, New Delhi.
3) Chairman/CMDs for all PSUs under administrative control of Ministry of Power.
4) CMDs/MDs of DISCOMs/GENCOs/TRANSCOs of all State Governments.
5) CMDs SECI, CMD PTC
6) DG, Association of Power Producers, New Delhi.
7) President, FICCI, Federation House, Tansen Marg, New Delhi.
8) CII, ASSOCHEM, DCPPA, Solar Association, Wind Association, Indian Energy storage Alliance (IESA),
9) EPTA
10) Head, Prayas (Energy Group), Pune.
11) Financial Institutions: REC, PFC, SBI Caps, ICICI, HDFC, IREDA, NIIF
12) DG TERI, DG BEE, CEEW

Copy for information to:

i) All Additional Secretaries/Joint Secretaries/Chief Engineer, Ministry of Power.
ii) PS to Hon'ble Minister, Sr. PPS to Secretary (Power), Sr. PPS to JS (R&R), PS to DS (R&R)

Annexure – I

Schedules for presentation before Expert Committee on comments and suggestions for the draft NEP 2021

Sl.No.	Group	Date of Presentation
		Time : 11am to 1pm
1.	CPSUs, PTC, SECI	11.5.2021
2.	Financial Institutions (REC, PFC, SBI Caps, ICICI, HDFC, IREDA, NIIF)	12.5.2021
3.	Industry Associations (APP, FICCI, ASSOCHAM, DCPPA, Solar Association, Wind Association, Indian Alliance of Solar Power, EPTA)	13.5.2021
4.	State Governments (in two groups)	14.5.2021
5.	TERI, BEE, CEEW, Prayas etc	15.5.2021

Note:

1. The date and time is tentative. However, in case of any change the same would be intimated to the concerned.

2. Each presenter will be given maximum of 10 minutes for presentation. Please share your presentation a day in advance.

3. Presentation should be focused and consists of maximum 5 slides. It would be more useful if the exact formulation to be incorporated in the NEP is discussed rather than the general comments and suggestions.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 12, 2005/माघ 23, 1926
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 12, 2005/MAGHA 23, 1926

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2005

राष्ट्रीय विद्युत नीति

सं. 23/40/2004-आर एंड आर (खंड-II).—प्रस्तावना :

1.1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-3 के अनुपालन में केंद्र सरकार एतदद्वारा राष्ट्रीय विद्युत नीति को अधिसूचित करती है ।

1.2 विद्युत हमारे जीवन के हर क्षेत्र में एक अनिवार्य आवश्यकता है इसकी पहचान मूलभूत मानवीय आवश्यकता के रूप में की गई है । यह एक ऐसी बुनियादी जरूरत है जिस पर देश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास निर्भर करता है । ग्रामीण भारत को युक्तिसंगत दर पर विद्युत आपूर्ति किया जाना देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक है । इसी प्रकार प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर विश्वसनीय और गुणवत्ता वाली विद्युत की उपलब्धता भारतीय उद्योग के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है ताकि भारतीय उद्योग विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बन सके और वह रोज़गार सृजन कर शक्यता का दोहन कर सके । सेवाओं के क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । विद्युत की गुणवत्तापरक आपूर्ति की उपलब्धता इस क्षेत्र के वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

1.3 त्वरित आर्थिक विकास एवं गरीबी उपशमन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विद्युत की आवश्यकता को समझते हुए देश में अगले 5 वर्षों तक सभी घरों में विद्युत उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है । 2001 की जनगणना के अनुसार देश के कुल 44% घरों में विद्युत उपलब्ध नहीं है । ऐसे में पूरे देश के घरों तक विद्युत पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने का कार्य एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसके लिए विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करनी होगी तथा पारेषण एवं वितरण प्रणाली का व्यापक विस्तार करना होगा ।

1.4 भारतीय विद्युत क्षेत्र में व्यापक बदलाव आ रहे हैं । आजादी के बाद भारतीय विद्युत क्षेत्र में हासिल प्रगति वस्तुतः सराहनीय है । किंतु समय के साथ विद्युत की मांग इसकी उपलब्धता से

अधिक बढ़ती रही है । देश में व्यस्ततमकालीन ऊर्जा अभाव एवं सामान्य ऊर्जा अभाव काफी अधिक है और यह अभाव विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण संबंधी खामियों तथा विद्युत के अकुशल उपयोग के कारण है । बहुत अधिक तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों तथा यूटिलिटियों के प्रबंधन में वाणिज्यिक दृष्टिकोण की कमी से वित्तीय प्रचालन हुए थे । क्रॉस सब्सिडियां गैर-पोषकीय स्तरों तक बढ़ गई है । वितरण नेटवर्कों में कमियां भी खराब गुणवत्तापरक आपूर्ति के मुख्य कारणों में से एक है।

1.5 विद्युत उद्योग में गहन पूंजी की आवश्यकता होती है और इसकी निर्माणाधीन अवधि भी लंबी होती है । देश में विद्युत उत्पादन के संसाधन असमान रूप से वितरित हैं । विद्युत एक ऐसी वस्तु है जिसका संचय ग्रिड में नहीं किया जा सकता जहां कि मांग व पूर्ति में लगातार संतुलन रखना होता है । देश में व्यापक रूप से विस्तारित और बढ़ती हुई मांग को ईष्टतम तरीके से पूरा करने की जरूरत है।

1.6 विद्युत अधिनियम, 2003 में विद्युत क्षेत्र के त्वरित एवं कुशल विकास के लिए एक सक्षम कार्यढांचे का प्रावधान किया गया है । यह अधिनियम में विनियामक हस्तक्षेप के साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया है । प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप कुशलता बढ़ेगी और इससे उपभोक्ताओं को उपयुक्त दर पर एवं गुणवत्ता वाली बिजली मिल सकेगी ।

1.7 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) तथा राज्य सरकारों के परामर्श से एक राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार किया जाना अपेक्षित है इससे संबंधित प्रावधान निम्न प्रकार है :-

"केंद्रीय सरकार, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, न्यूक्लीयर पदार्थ या सामग्री, हाइड्रो संसाधनों तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के अधिकतम उपयोग पर आधारित विद्युत प्रणाली के विकास के लिए राज्य सरकारों और प्राधिकरण के परामर्श से राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति समय-समय पर तैयार करेगी ।"

अधिनियम की धारा 3(3) केंद्र सरकार को समय-समय पर राष्ट्रीय विद्युत नीति की समीक्षा एवं संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है ।

1.8 राष्ट्रीय विद्युत नीति का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए दिशानिर्देश प्रस्तुत करना, सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करना तथा ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, इन संसाधनों के दोहन के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी, विभिन्न संसाधनों का उपयोग करते हुए विद्युत उत्पादन में मितव्ययिता तथा ऊर्जा सुरक्षा संबंधी मामलों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं और अन्य स्टेकहोल्डरों के हितों की रक्षा करना है ।

1.9 राष्ट्रीय विद्युत नीति राज्य सरकारों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके और उनके विचारों को ध्यान में रखकर तथा राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुरूप तैयार की गई है ।

2.0 उद्देश्य एवं लक्ष्य

राष्ट्रीय विद्युत नीति के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है:

- विद्युत की उपलब्धता-अगले पांच वर्षों में सभी घरों में बिजली की उपलब्धता ।
- विद्युत की उपलब्धता-वर्ष 2012 तक विद्युत की संपूर्ण मांग को पूरा किया जाना । ऊर्जा संबंधी व्यस्ततम एवं सामान्य अभाव को समाप्त किया जाएगा और अतिरिक्त रूप से पर्याप्त विद्युत उपलब्ध रहेगी ।
- युक्तिसंगत दरों पर और दक्ष तरीके से निर्धारित स्तरों की विश्वसनीय व गुणवत्तापरक विद्युत की आपूर्ति करना ।
- सन् 2012 तक विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 1000 यूनिट से भी अधिक बढ़ाना ।
- सन् 2012 तक अच्छी मैरिट आधार पर हर घर में प्रतिदिन 1 यूनिट की न्यूनतम खपत सुनिश्चित करना ।
- विद्युत क्षेत्र में वित्तीय परिवर्तन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता ।
- उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा ।

3.0 राष्ट्रीय विद्युत योजना

3.1 मांग का मूल्यांकन क्षमता अभिवृद्धि के नियोजन के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है । अधिनियम की धारा 3 (4) के अनुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार कर इसे राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार समय-समय पर संशोधन करना आवश्यक है । साथ ही धारा 73 (क) में यह प्रावधान है कि विद्युत प्रणाली के विकास के लिए अल्पकालिक एवं संदर्शी योजनाएं तैयार करना तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु संसाधनों के ईष्टतम उपयोग के लिए विभिन्न योजना एजेंसियों के कार्यकलापों का समन्वय करना सीईए का एक प्रमुख कार्य है । सीईए द्वारा तैयार किए गए प्लान को भावी विद्युत उत्पादन कंपनियों, पारेषण यूटिलिटियों और पारेषण/वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा संदर्भ दस्तावेज के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है ।

3.2 तदनुसार सीईए अल्पकालिक एवं संदर्शी योजना तैयार करेगा । राष्ट्रीय विद्युत नीति पांच वर्ष के अल्प समय के लिए होगी जबकि संदर्शी योजना 15 वर्ष की होगी और इससे निम्नलिखित शामिल होंगे-

- विभिन्न क्षेत्रों के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन मांग का अनुमान ।
- विद्युत उत्पादन एवं पारेषण में मितव्ययिता, प्रणाली में हानियां, भार केंद्र आवश्यकता, ग्रिड स्थिरता, आपूर्ति सुरक्षा, वोल्टता प्रोफाइल समेत विद्युत की गुणवत्ता इत्यादि तथा पुनर्वास व पुनर्स्थापना समेत पर्यावरणीय विचारों को ध्यान में रखते हुए क्षमता अभिवृद्धियों के लिए सुझाए गए क्षेत्र/स्थान ।
- पारेषण प्रणाली के साथ ऐसे संभावित स्थलों का एकीकरण और अतिरिक्तता की आवश्यकता तथा पारेषण प्रणालियों के प्रकार समेत राष्ट्रीय ग्रिड का विकास और

- दक्ष विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकियां ।

3.3 राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करते समय के.वि.प्रा. राज्य सरकारों समेत सभी स्टेकहोल्डरों से परामर्श करेगा और राज्य सरकारें वितरण लाइसेंसी/एसटीयू समेत स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय स्थापित करके राज्य स्तर पर यह कार्य करेंगे । अल्पकालीन और दीर्घकालीन मांग का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक अध्ययन कार्य करते समय वितरण यूटिलिटियों द्वारा किए गए अनुमानों को उपयुक्त प्राथमिकता प्रदान की जाएगी । के.वि.प्रा., विशेषतः मांग अनुमान के क्षेत्र में आर्थिक विशेषज्ञता रखने वाले संस्थानों और एजेंसियों के साथ पारस्परिक कार्रवाई करेगा । अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए परियोजनागत वृद्धि दरों को भी भावी मांग का अनुमान लगाने में ध्यान में रखा जाएगा ।

3.4 चालू 10वीं योजना और 11वीं योजना तथा 10वीं, 11वीं और 12वीं योजना अवधियों के लिए संदर्शी योजना हेतु राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार की जाएगी तथा के.वि.प्रा. द्वारा तैयार की गई विद्यमान विद्युत योजना को संशोधित और उसकी समीक्षा करके योजना को अधिसूचित किया जाएगा। यह 6 माह के भीतर किया जाएगा ।

4.0 विचारार्थ मामले

नीति के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों पर विचार किया जाएगाः

- विद्युत उत्पादन
- पारेषण
- वितरण
- ग्रामीण विद्युतीकरण
- सेवाओं की लागत की वसूली और लक्षित सब्सिडियाँ
- प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुसंधान एवं विकास(आर एंड डी)
- उपभोक्ता लाभों के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा
- निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी समेत विद्युत क्षेत्र कार्यक्रमों का वित्तपोषण
- ऊर्जा संरक्षण
- पर्यावरणीय मुद्दे
- प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास
- सह-उत्पादन एवं नवीकरणीय तथा गैस-परंपरागत ऊर्जा स्रोत
- उपभोक्ता हितों की रक्षा और गुणवत्ता मानक

5.1 ग्रामीण विद्युतीकरण

5.1.1 विद्युत क्षेत्र के विकास का एक मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों समेत सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति प्रदान करना है जैसा कि अधिनियम की धारा 6 में शासनादेश है । केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों इस लक्ष्य को प्राप्त करने के संयुक्त प्रयास करेंगे । सभी उपभोक्ताओं को सभी लागतों